INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25

प्रमुख बिन्दु

सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से संबंधित हितधारकों हेतु विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं और क्षमता निर्माण प्रदान करने और राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके राज्य के विद्यमान और अभिनव उत्पादों के लिए नए संभावित बाजारों का पता लगाने हेतु उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए यह नीति प्रख्यापित की गई है। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप बनाने के लिए त्वरित निर्यात प्रोत्साहन योजना का पुनर्गठन।
- केंद्र राज्य समन्वय प्रकोष्ठ की स्थापना।
- निर्यात संबंधी प्रोत्साहन हेतु त्वरित प्रसंस्करण और निर्यातकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना।
- निर्यातकों के लिए उनकी शिकायतों और निर्यात से संबंधित मामलों के निवारण हेतु एक समर्पित जीएसटी सेल स्थापित करना।
- भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों की पहचान, पंजीकरण और ब्रांडिंग में सहायता।
- एक बी 2 बी एक्सचेंज की स्थापना, जो राज्य की सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को ऑनलाइन व्यापार करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- निकासी तंत्र को आसान बनाने के लिए एक सराहनीय ट्रैक रिकॉर्ड वाले निर्यातकों के लिए ग्रीन कार्ड सुविधा का प्रारंभ।
- भारत सरकार की टीआईईएस स्कीम के अंतर्गत निर्यातोन्मुख जिलों में निर्यात अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना और भारत सरकार की व्यापार अवसंरचना निर्यात योजना (टीआईईएस) के समान निर्यात संबंधी अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य-विशिष्ट योजना शुरू करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित फ्लैटेड औद्योगिक पार्कों के लिए निर्यात इकाइयों को 25% का अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) प्रदान करने का प्रावधान।
- प्रदेश से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करना।
- परिवहन सब्सिडी, विद्युत शुल्क, बाजार विकास सहायता, प्रमाणन आदि के रूप में निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश में निर्यात और निर्यातकों पर एक सुदृढ़ विश्लेषणात्मक डेटाबेस बनाना।
- प्रतिस्पर्धी निर्यात अवस्थापना के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी पहल को प्रोत्साहित करना।
- राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन परिषद, राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति और जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना।
- जिला निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त - उद्योग सदस्य सचिव के रूप में करते हैं। जिले के प्रमुख औद्योगिक संघों और औद्योगिक इकाइयों के अध्यक्ष परिषद के सदस्य होंगे। यह परिषद जनपद के उद्योगों की समस्याओं पर चर्चा और समाधान के लिए बैठक आयोजित करेगी।
- उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों के बीच निर्यात प्रथाओं के बारे में ज्ञान विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अनुकूलित क्षमता निर्माण कार्यशाला।
- जिला स्तर पर निर्यात संबंधी प्रकरणों को हल करने के लिए, राज्य सरकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक तंत्र अर्थात जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (जिला निर्यात बंधु) की स्थापना करेगी। जिन प्रकरणों का समाधान नहीं होगा और नीतिगत मामलों को निर्यात बंधु के पास संदर्भित किया जाएगा।
- प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए, सराहनीय निर्यात क्षमता वाले प्रत्येक जिले में इकाइयों को ऋण सहायता बढ़ाने के लिए बैंक की कम से कम एक एमएसएमई समर्पित शाखा होनी चाहिए।
- विभिन्न क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए क्षेत्रवार/उत्पाद आधारित सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा। सेक्टोरल ईपीसी, विशेषज्ञ एजेंसियां, राज्य और केंद्रीय विभाग और राज्य एनआरआई विभाग सलाहकार समितियों का हिस्सा होंगे।

नोडल एजेंसी: निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, एमएसएमई विभाग